न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सालुखे गौरव रविन्द्र, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री भीमा पुत्र स्व. सोमा, जाति गरासिया, निवासी आमथला व अन्य – 7		श्री भुरकी पुत्री भुताजी, जाति गरासिया, निवासी चोटिला चनार व अन्य – 5

प्रार्थना पत्र तहत् आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व प्रार्थना पत्र 72/2013

दिनांक 25/9/2024

उपस्थित :–

श्री जितेन्द्र सुराणा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की एक कृषि भूमि खसरा संख्या 15, 17, 38, 41, 42, 44, 48, 50, 54, 55, 71, 75, 13/1200, 65, 47 की कुल रकबा 62 बीघा 9 बिश्वा मौजा गांव आमथला, पटवार क्षेत्र आमथला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किवरली , जिला सिरोही में स्थित है।

यह कि प्रार्थीगण का संयुक्त परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है :–

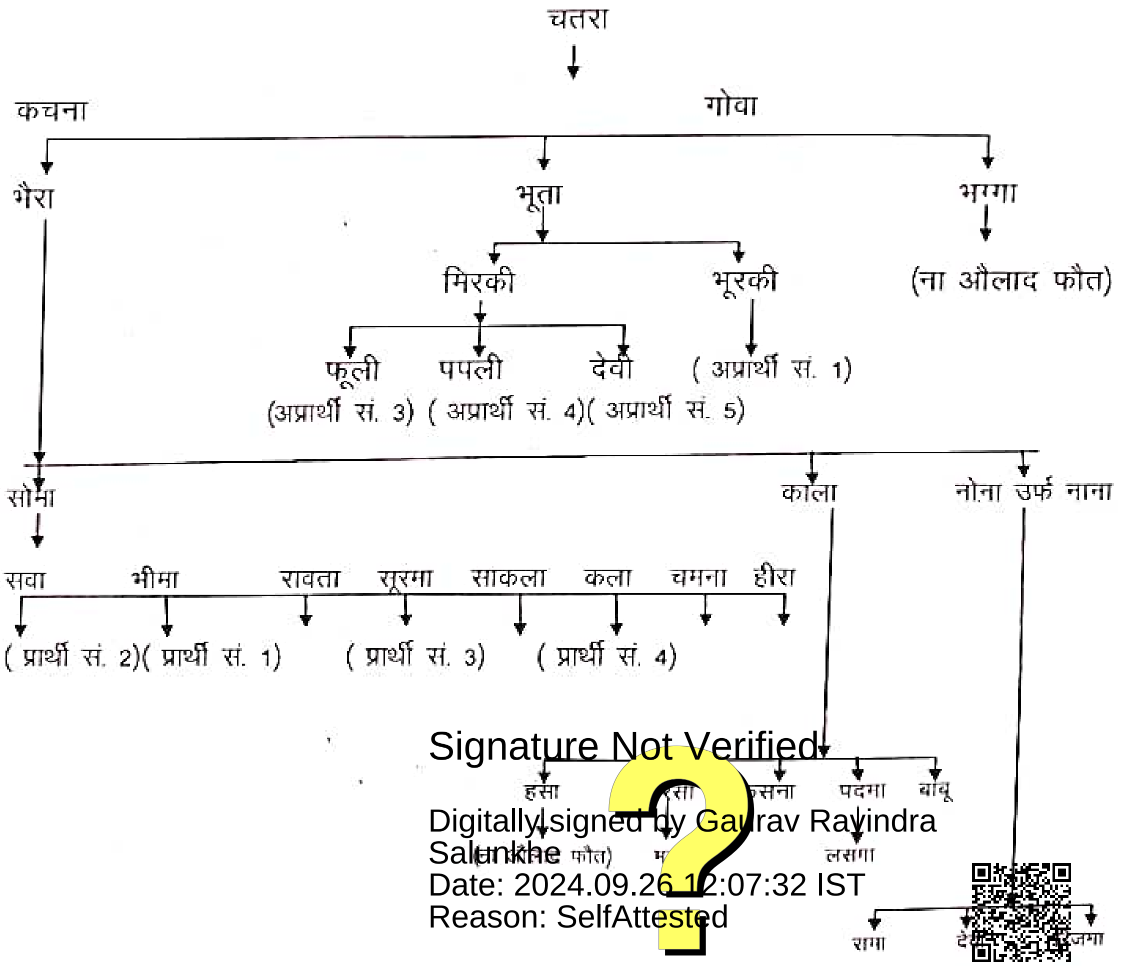

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.09.26 12:07:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

यह कि विवादित खरारा संख्या 38, 41 जो प्रार्थीगण के कब्जे में है वह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने अप्रार्थी संख्या 6 (शांतिलाल पुत्र केसाराम) को विक्रय कर दी है जबकि यह भूमि आज भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 भूरकी और मीरकी पुत्रीया भूताजी थी एवम मीरकी का देहांत हो चुका है। विवाह के बाद भूताजी की उक्त दोनो पुत्रीया अपने ससुराल में ही रहती थी उनका पिछले लगभग 50 साल से खरारा संख्या 38 व 41 की कृषि भूमि में कोई लेना देना नही है इस भूमि पर प्रार्थीगण का एडमिटेड परफेक्ट पजेशन हो चुका है। इनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 को किया गया विक्रय एव इनीशियों वोईड होने से अवैध व शून्य है। यह कि उक्त तमाम भूमि का आज तक भाई बंटवाड़ भी नही हुआ है और न ही भूमि का कब्जा अलग अलग हुआ है इस कारण भी अप्रार्थी संख्या 6 को किया गया विकय विलेख अवैध एवं शून्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या 6 दिनांक 2-7-2013 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के साथ मौके पर आया तथा उसने कथन किया कि खरारा संख्या 38 व 41 की वरकवा 6 बीघा 4 बिश्वा भूमि उसने अप्रार्थी संख्या 1 से 5 से खरीद कर ली है इस कारण प्रार्थीगण मौके पर से अपना कब्जा हटाकर भूमि खाली करें। यह कि प्रार्थीगण को उक्त विक्रय की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 8-7-2013 को उक्त भूमि में अपनी खातेदारी घोषित करवाने के लिय अप्रार्थी संख्या 7 को एक विधिक नोटिस दिया जो नोटिस अप्रार्थी संख्या 7 को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी उन्होने आज तक खरारा संख्या 38 व 41 की भूमि का प्रार्थीगण के दादा श्री भैरा जी के वंशजो के नाम आज तक खातेदारी दर्ज नही की है और न ही उनके पक्ष में नियमन जारी किया है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है।

यह कि हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करा। स्टेट के जवाब में अंकन है कि खसरा नंबर 38 रकबा 6.02 बीघा, 41 रकबा 0.02 बीघा कुल किता 2 रकबा 6.04 बीघा शांतिलाल पुत्र केशा राम कौम भील सा. वासन तहसील रेवदर के नाम से खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का पटवार आमथला मौका फर्द दिनांक 07.08.2024 में अंकन है कि ग्राम आमथला के खसरा नंबर 38 पवनी बाई पत्नि शांतिलाल के 1/2 राधा देवी पत्नि अर्जुन राम 1/2 जाति भील के नाम दर्ज रेकर्ड है व ख.न. 38 में भीमा , सांकला, कला पुत्र सोमा व छोगा पुत्र सवा, जगा पुत्र रावता मौके पर काबिज है। ग्राम आमथला में खसरा नंबर 41 पवनी बाई पत्नि शंकरलाल जाति भील के नाम दर्ज रेकर्ड है व सांकला पुत्र सोमा उक्त खसरे में काबिज है।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 15, 17, 38, 41, 42, 44, 48, 50, 54, 55, 71, 75, 13/1200, 65, 47 की कुल रकबा 62 बीघा 9 बिश्वा मौजा गांव आमथला, पटवार क्षेत्र आमथला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किवरली , जिला सिरोही में स्थित है। स्टेट के जवाब में अंकन है कि खसरा नंबर 38 रकबा 6.02 बीघा, 41 रकबा 0.02 बीघा कुल किता 2 रकबा 6.04 बीघा शांतिलाल पुत्र केसा राम कौम भील सा. वासन तहसील रेवदर के नाम से खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का पटवार आमथला मौका फर्द दिनांक 07.08.2024 में अंकन है कि ग्राम आमथला के खसरा नंबर 38 पवनी बाई पत्नि शांतिलाल के 1/2 राधा देवी पत्नि अर्जुन राम 1/2 जाति भील के नाम दर्ज रेकर्ड है एवं ग्राम आमथला में खसरा नंबर 41 पवनी बाई पत्नि शंकरलाल जाति भील के नाम दर्ज रेकर्ड है । विवादित खसरा [illegible] 38 व [illegible] वादीगण वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार नही है अतः आदेश 39 नियम 1 व 2 व [illegible] 151 सी.पी.सी के तहत रिकॉडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] जा सकती [illegible] उक्त प्रकरण में मूल वाद भी खारिज किया गया है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.09.26 12:07:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

आदेश

उक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र ,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.09.26 12:07:32 IST
Reason: SelfAttested